


समृद्धिं जगते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2015/फाल्गुन 21, 1936

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2015/PHALGUNA 21, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 183(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) वे 2 मार्च, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, मौजूदा संलग्नक 'बी' में,

मौजूदा प्रविष्टि एफ.2.2 में, मद सं. (4)(i)(सी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क्र.सं.	अन्य शर्तें:
(4)(1)(सी)	बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम(JV)/सहायक कंपनी वाले प्रायवेट बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदनपत्र भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ भेजे जाएं ताकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से परामर्श करके बीमा क्षेत्र के लिए लागू विदेशी शेयरधारिता की 49 प्रतिशत की सीमा भंग न होने देना सुनिश्चित किया जा सके।

(i) मौजूदा प्रविष्टि एफ.7 में, मद सं.एफ.7.1 एवं एफ.7.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ई क्विटी का %	प्रवेश मार्ग
एफ.7.1	(i) बीमा कंपनी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड पार्टी प्रशासक (iv) सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त अन्य बीमा मध्यस्थ कंपनी	49% {एफडीआई +एफपीआअ (एफआई आई , क्यूएफआई) + एनआरआई +एफवीसीआई+डीआर}	26% तक स्वचालित मार्ग से 26% से अधिक और 49% तक सरकारी मार्ग से
एफ.7.1.2	अन्य शर्तें: ए) कोई भी भारतीय बीमा कंपनी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा अपने ई क्विटी शेयरों में कुल विदेशी निवेश के मार्फत ऐसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक की धारिता (holding) की अनुमति नहीं देगी। बी) भारतीय बीमा कंपनी में कुल विदेशी निवेश 26 प्रतिशत से अधिक और 49 प्रतिशत की सीमा तक ले जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव सरकारी मार्ग से हो सकेंगे। सी) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुपालन की शर्त के अधीन और इस शर्त के अधीन भी होंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने वाली कंपनियाँ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगी।		
	डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में संदर्भित निवासी भारतीय कंपनियों के हाथों में ही हमेशा बना रहे। ई) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2), (2ए), (3) और (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे। एफ) किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फेमा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हो सकेगी।		

	<p>जी) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि मूल्यांकनकर्ताओं तथा अन्य बीमा मध्यस्थ कंपनियों के संबंध में विदेशी ई क्रिटी निवेश की 49 प्रतिशत की कैप उल्लेखानुसार लागू होगी।</p> <p>एच) बशर्ते कि जहां बैंक जैसी किसी कंपनी के, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से बाहर है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यस्थ कंपनियों के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है, तो उक्त क्षेत्र हेतु लागू विदेशी ई क्रिटी निवेश कैप संबंधी अनुदेश उस पर भी लागू होंगे बशर्ते कि ऐसी कंपनियों के प्राथमिक (अर्थात् गैर-बीमा संबंधी) कारोबार से प्राप्त राजस्व किसी भी वित्तीय वर्ष में उसके कुल राजस्व के 50 प्रतिशत के अधिक अवश्य रहे। आई) बैंकों द्वारा प्रवर्तित बीमा कंपनियों के संबंध में 'बैंकिंग-प्राइवेट क्षेत्र' से संबंधित पैराग्राफ एफ.2, एफ.2.1 और एफ.2.2 के उपबंध लागू होंगे।</p> <p>जे) 'नियंत्रण', 'ई क्रिटी शेयर पूंजी', 'विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'किसी भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी कंपनी', 'सरकारी वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' शब्दों के अर्थ वही होंगे जो 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में दिये गए हैं।</p>
--	---

[सं.फेमा-340/2015-आरबी]

बी० पी० कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:-

मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि.सं.406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ), दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 738(अ), दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 175(अ), दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 29(अ), दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 182(अ), दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 4(अ), दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 712(अ), दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 574(अ), दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 713(अ), दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 223(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 737(अ), दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 225(अ), दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 575(अ), दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 558(अ), दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 896(अ), दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 835(अ), दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 851(अ), दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 341 (अ), दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 12(अ), दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 821(अ), दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 278(अ), दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 606(अ), दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 454(अ), दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 795(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 625(अ), दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 796(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 799(अ), दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 797(अ), दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 201(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 945(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 202(अ), दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 946(अ), दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 504(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 38(अ), दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ), दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 515(अ), दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ), दिनांक 29.07.2005	

सा.का.नि. सं. 532(अ), दिनांक 05.08.2013
 सा.का.नि. सं. 341(अ), दिनांक 28.05.2013
 सा.का.नि. नं.344(अ), दिनांक 29.05.2013
 सा.का.नि. नं.195(अ), दिनांक 01.04.2013
 सा.का.नि. सं. 393(अ), दिनांक 21.06.2013
 सा.का.नि. सं. 591(अ), दिनांक 04.09.2013
 सा.का.नि. सं. 596(अ), दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 597(अ), दिनांक 06.09.2013
 सा.का.नि. सं. 681(अ), दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 682(अ), दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 31.12.2013
 सा.का.नि. सं. 805(अ), दिनांक 30.12.2013
 सा.का.नि. नं.683(अ), दिनांक 11.10.2013
 सा.का.नि. नं.189(अ), दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. नं.190(अ), दिनांक 19.03.2014
 सा.का.नि. नं.270(अ), दिनांक 07.04.2014

सा.का.नि. नं.361(अ), दिनांक 27.05.2014
 सा.का.नि. नं.370(अ), दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. नं.371(अ), दिनांक 30.05.2014
 सा.का.नि. नं.435(अ), दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. नं.400(अ), दिनांक 12.06.2014
 सा.का.नि. नं.436(अ), दिनांक 08.07.2014
 सा.का.नि. सं. 487 (अ), दिनांक 11.07.2014
 सा.का.नि. सं. 632 (अ), दिनांक 02.09.2014
 सा.का.नि. सं. 798 (अ), दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. नं 799 (अ), दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 800 (अ), दिनांक 13.11.2014
 सा.का.नि. सं. 829 (अ), दिनांक 21.11.2014
 सा.का.नि. सं. 906 (अ), दिनांक 22.12.2014
 सा.का.नि. सं. 914 (अ), दिनांक 24.12.2014
 सा.का.नि. सं. 30 (अ), दिनांक 14.01.2015

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
 (CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd March , 2015

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2015

G.S.R.183(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from March 2, 2015.

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in the existing Annex B,

(i) in the existing entry F.2.2, for the item (4)(i)(c), the following shall be substituted, namely:

S. No.	Other conditions
(4)(1)(c)	Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) in order to ensure that the 49 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached.

(ii) in the existing entry F.7, for the items F.7.1, and F.7.2, the following shall be substituted, namely:

S. No.	Sector/ Activity	% of FDI Cap/Equity	Entry Route
F.7.1	(i) Insurance Company (ii) Insurance Brokers (iii) Third party Administrators (iv) Surveyors and Loss Assessors (v) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)	49% {(FDI+FPI(FII,QFI)+NRI+FVCI+DR)}	Automatic upto 26% Government route beyond 26% and up to 49%
F.7.2	<p>Other Conditions:</p> <p>a) No Indian insurance company shall allow the aggregate holdings by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent of the paid up equity capital of such Indian insurance company.</p> <p>b) Foreign direct investment proposals which take the total foreign investment in the Indian insurance company above 26 percent and upto the cap of 49 percent shall be under Government route.</p> <p>c) Foreign investment in the sector is subject to compliance of the provisions of the Insurance Act, 1938 and the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority of India for undertaking insurance activities.</p> <p>d) An Indian insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities referred to in Notification No. G.S.R 115(E), dated 19th February, 2015.</p> <p>e) Foreign portfolio investment in an Indian insurance company shall be governed by the provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 and provisions of the Securities Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations.</p> <p>f) Any increase of foreign investment of an Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by Reserve Bank of India under the FEMA.</p> <p>g) The foreign equity investment cap of 49 percent shall apply on the same terms as above to Insurance Brokers, Third Party Administrators, Surveyors and Loss Assessors and Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999):</p> <p>h) Provided that where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e. non- insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year.</p> <p>i) The provisions of paragraphs F.2, F.2.1 and F.2.2 relating to 'Banking- Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies.</p> <p>j) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115(E), dated 19th February, 2015.</p>		

[No. FEMA. 340/2015-RB]

B.P.KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R. No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R. No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R. No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R. No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R. No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R. No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R. No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R. No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 30 (E) dated 14.01.2015